

RAJENDRA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, RANCHI

Sample Tender paper for Medicine / Surgical / Chemical of RIMS, Ranchi

Tender Notice No. 6662 dated 29.09.2015

Issued to

M/s _____

Against money receipt number/RIMS, dated :

Cashier
RIMS, Ranchi

**RAJENDRA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
RANCHI**

Tender paper for Medicine/Chemical/Surgical

Tender Notice No:- 6662..... dated 29.09.2015/ Session 2015-16

Issued To,

M/s

.....

.....

Performa for Price bid

Sl. No.	Name of Product	Make/ Manufacturer	Qty/Vol	Unit Price	All Taxes	Remarks
1						
2						
3						
4						
5						

Note :- 1. The price will be accepted in the above given Performa only. In any other Performa price bid shall not be accepted.

2. If the name of any Medicine/Surgical/Chemicals good are mentioned by its trade (Brand) name in the tender item list, it does not mean the same brand only. The tender may quoted their tender for the same (having similar composition of chemicals or items or Surgically by their own brand name showing the similar composition).

Your's Faithfully

Signature of Tenderer
With Seal

Medical Officer (Store),
Rajendra Institute of Medical
Sciences,
Ranchi

निदेशक का कार्यालय, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

निविदा सं० 6662/रिम्स, राँची

दिनांक 29/10/15

निविदा आमंत्रण सूचना

इस संस्थान में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए केवल जेनेरिक औषधियों/सर्जिकल समानों/रसायनों की आपूर्ति हेतु लाईसेंसधारी सरकारी प्रतिष्ठानों/गैर सरकारी प्रतिष्ठानों/निर्माताओं एवं प्राधिकृत विक्रेताओं से मुहरबंद टंकित निविदा तकनीकी एवं मूल्य बिड अलग-अलग सीलबंद लिफाफे में सिर्फ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित की जाती है। साधारण डाक/प्राइवेट कुरियर/हाथो-हाथ प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा वे स्वतः रद्द हो जायेंगे।

निविदा से संबंधित मुख्य तिथियाँ:-

- | | | |
|------------|--|---|
| क्रम सं०-1 | निविदा से संबंधित विभिन्न तकनीकी बिन्दुओं पर विचार-विमर्श हेतु प्री-बीड बैठक की तिथि | दिनांक 06.10.2015 को अपराह्न 12:30 बजे से रिम्स प्रशासनिक सभा कक्ष में /इच्छुक निविदादाता तकनीकी विमर्श हेतु उक्त बैठक में तकनीकी समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र है। |
| क्रम सं०-2 | निविदा प्रपत्र विक्री की तिथि :- | दिनांक 12.10.2015 से 12.11.2015 तक कार्य दिवस तथा कार्य अवधि में निविदादाता औषधि के लिए ₹0 5000/- (पाँच हजार रूपए) सर्जिकल के लिए ₹0 5000/- (पाँच हजार रूपए) एवं रसायन के लिए ₹0 5000/- (पाँच हजार रूपए) अलग - अलग नगद रूप से रोकड़पाल, रिम्स, राँची के पास जमा कर औषधि, सर्जिकल एवं रसायनों का अलग-अलग निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं अथवा रिम्स वेब साइट से निविदा प्रपत्र डाउन लोड करके ₹0 5000/- का बैंक ड्राफ्ट (निदेशक, रिम्स, राँची के नाम) निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करते हुए भी निविदा जमा कर सकते हैं। |
| क्रम सं०-3 | निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि :- | दिनांक 14.11.2015 को अपराह्न 4:30 बजे तक। |
| क्रम सं०-4 | निविदा का तकनीकी भाग खुलने की तिथि | दिनांक 16.11.2015 को अपराह्न 12:30 बजे रिम्स, निदेशक सम्मेलन कक्ष में, सभी निविदादाता उक्त बैठक में क्रय समिति के समक्ष निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। |
| क्रम सं०-5 | निविदा की शर्तें | निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी संस्थान के वेबसाइट www.rimsranchi.org पर देखा जा सकता है। |

निविदा की अन्य शर्तें:-

1. निविदादाता के तकनीकी बिड में निम्नांकित कागजात संलग्न करेंगे:-

- (क) सरकारी उपकरणों को छोड़कर अन्य सभी निविदादाताओं द्वारा EMD के रूप में निदेशक रिम्स के नाम से प्लेज्ड औषधियों के लिए ₹0 1,50,000/-, सर्जिकल समानों के लिए ₹0 1,50,000/- एवं रसायनों के लिए ₹0 50,000/- का बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति संलग्न करेंगे
- (ख) (I) - झारखण्ड राज्य बिक्री कर/JVAT निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
(II) - वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्गत अधतन स्वच्छता प्रमाण पत्र की छायाप्रति जो निविदा खुलने की तिथि को मान्य हो।

अथवा

अगर निविदा दाता/फर्म का कार्यालय झारखण्ड राज्य में निबंधित नहीं है तो उन निविदादाताओं को नोटरी पब्लिक का शपथ पत्र देना होगा कि झारखण्ड सरकार का बिक्री कर (Jharkhand Vat) भुगतान करने के पश्चात ही सामग्रियों की आपूर्ति करेंगे तथा बिक्री कर में राहत इत्यादि के लिए निविदा आमंत्रित करने वाले विभाग से किसी प्रकार के अभिलेखों की माँग नहीं करेंगे।

- (ग) सभी निविदादाताओं को नोटरी पब्लिक के माध्यम से शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा जिसमें अंकित होना चाहिए कि:-
- (1) हमारा फर्म/कम्पनी किसी सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी उपकरण की काली सूची में नहीं है तथा पूर्व में भी दोषी नहीं पाया गया है।
- (2) रिम्स को आपूर्ति किये जाने वाले सभी सामग्रियों के लेबुल पर Supply for RIMS, Ranchi /Not for sale/ for Govt. Supply only अंकित होना अनिवार्य है।

- (घ) निविदादाता का अद्यतन ड्रग लाईसेंस की छायाप्रति संलग्न होना चाहिए। अगर निविदादाता स्वयं निर्माता है तो MFG Licence की छायाप्रति अथवा अगर निविदादाता किसी निर्माता द्वारा प्राधिकृत फर्म है, तो मूल निर्माता द्वारा निविदादाता/फर्म के नाम निर्गत प्राधिकार पत्र की मूल प्रति जो इस निविदा के लिए निर्गत हो, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्राधिकार पत्र निदेशक, रिम्स, राँची के नाम से निर्दिष्ट होना अनिवार्य है तथा निर्माता को प्राधिकार पत्र में यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उनकी फर्म काली सूची (Black listed) में नहीं है एवं वर्तमान में फर्म चालू अवस्था में है तथा रिम्स में आपूर्ति किये जाने वाले औषधि के रैपर पर औषधि का केवल जेनेरिक (रसायनिक) नाम ही अंकित कर आपूर्ति की जायेगी, रैपर पर किसी ब्रांड विशेष का नाम अंकित नहीं रहेगा।
- (ङ) प्राधिकार पत्र के साथ प्राधिकृत करने वाले कम्पनी/फर्म/व्यक्ति का चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा अकेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिसमें कम्पनी/फर्म/व्यक्ति का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम दो करोड़ रुपये सालाना हो साथ ही साथ प्राधिकार पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पूरा नाम, पदनाम एवं मोबाईल नं० देना अनिवार्य है। वैसे निविदादाता, जो झारखण्ड राज्य के उद्योग विभाग द्वारा एस०एस०आई० का प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत झारखण्ड में ही सामग्रियों का निर्माण करते हैं, को वार्षिक टर्न ओवर की राशि में छूट प्रदान करने की शक्ति क्रय समिति को नीहित रहेगी जो झारखण्ड सरकार की उद्योग नीति के अनुसार होगा।
- (च) निविदादाता फर्म का आयकर प्रमाण पत्र एवं पैन नं० की छायाप्रति। अगर निविदादाता पार्टनरशीप फर्म अथवा कम्पनी हो तो फर्म के नाम से ही आयकर पैन नं० मान्य होगा। अगर निविदादाता फर्म एक ओनरशीप फर्म है तो वैसी परिस्थिति में ही फर्म का मालिक का पैन नं० मान्य होगा। अतः सभी निविदादाता अपने पैन नं० की छायाप्रति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करेंगे कि फर्म Properity है अथवा Partnership Firm है। साथ ही अंतिम तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की छायाप्रतियाँ संलग्न करना है।
- (छ) निविदित औषधियों/सामग्रियों से संबंधित कैटलॉग/Brochure/Specification एवं अन्य संबंधित अभिलेख संलग्न करेंगे, जिसमें उक्त सामग्री की गुणवत्ता से संबंधित जानकारी हो। G.M.P Certified & WHO Approved Company वाला को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (ज) निविदादाता फर्म द्वारा निविदित औषधियों/सर्जिकल/रसायनों का न्यूनतम दो वर्षों अथवा अधिकतम अवधि से अच्छे गुणवत्ता पूर्ण सामग्री निर्माण करने से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न होना अनिवार्य है।
- (झ) निविदादाताओं का विगत तीन वित्तीय वर्षों का अर्थात् (2012-13, 2013-14 एवं 2014-15) में औसतन कंपनी एवं निर्माता के लिए न्यूनतम दो करोड़ रुपयों का प्रतिवर्ष टर्न ओवर या तीन वर्षों में कुल छः करोड़ रुपये का टर्न ओवर होना अनिवार्य है; तथा प्राधिकृत आपूर्ति कर्ता के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम एक करोड़ रुपये अथवा तीन वर्ष में कम से कम तीन करोड़ का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। जो चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा अभिप्रमाणित एवं चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा अकेक्षित होना चाहिए जिसकी छायाप्रति संलग्न होना अनिवार्य है। वैसे निविदादाता, जो झारखण्ड राज्य के उद्योग विभाग द्वारा एस०एस०आई० का प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत झारखण्ड में ही सामग्रियों का निर्माण करते हैं, को वार्षिक टर्न ओवर की राशि में छूट प्रदान करने की शक्ति क्रय समिति को नीहित रहेगी जो झारखण्ड सरकार की उद्योग नीति के अनुसार होगा।
- (ञ) सर्जिकल साग्रियों के निविदादाताओं को रिम्स तकनिकी समिति की अनुशंसा या निदेश के अनुसार सूचीबद्ध साग्रियों का नमूना मूल्यांकन हेतु रिम्स द्वारा निर्धारित समय पर जमा करना होगा। नमूना जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित निविदादाता के उस सामग्री पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदादाता अपने निविदा में संलग्न सभी पृष्ठों पर पृष्ठ सं० निश्चित रूप से अंकित करेंगे तथा अपने पैड पर प्रमाण पत्र देंगे जिसमें अंकित होगा कि "हमारे द्वारा प्रेषित निविदा के तकनिकी भाग में कुल पृष्ठ संलग्न है। तथा प्राइस बीड में कुल पृष्ठ अंकित है।" एवं निविदा के साथ मॉगी गई सभी प्रमाण पत्र पृष्ठ सं० पर अंकित है। जिसे Index पर लिखना अनिवार्य है।
 3. समर्पित निविदा का प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर के साथ स्वअभिप्रमाणित होना अनिवार्य है।
 4. सभी निविदादाता द्वारा सूची में दिये हुए दवाओं के जेनेरिक नाम ही निविदा प्रपत्र में भरे जाएंगे। अन्यथा उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
 5. निविदित औषधियों/सामग्रियों/रसायनों की आपूर्ति की तिथि को औसतन Expiry Period उक्त सामग्री में वास्तविक Expiry Period से एक वर्ष छः माह से कम अवधि वाली सामग्री मान्य नहीं होगा।
 6. टूटे-फूटे Soiled, लीकेज वाले सामग्रियों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 7. यदि किसी निविदादाता कम्पनी अथवा फर्म द्वारा इस निविदा के लिए किसी खास व्यक्ति को प्राधिकृत किया जाता है अथवा पावर ऑफ ऑटर्नी दिया जाता है तो उस कम्पनी अथवा फर्म द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र की मूलप्रति अथवा पावर ऑफ ऑटर्नी की सर्टिफाइड प्रति लगाना अनिवार्य होगा।
 8. क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दर न्यूनतम दो वर्ष अथवा क्रय समिति के अनुमोदन के आलोक में आगामी निविदा के दरों का अनुमोदन होने तक मान्य होगा।
 9. औषधियों/सर्जिकल समानों/रसायनों के लिए समर्पित निविदा के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से निविदा सूचना सं० एवं

दिनांक अंकित होना अनिवार्य होगा।

10. निविदा दो अलग अलग मुहरबंद लिफाफे में होना चाहिए। एक में टेकनिकल बीड जिसमें सभी वांछित अभिलेख तथा निविदादाता द्वारा निविदित औषधियों की सूची होगी तथा दूसरे में प्राइस बीड तथा दोनों मुहरबंद लिफाफे एक बड़े मुहरबंद लिफाफे में होना चाहिए।
11. निविदित मूल्य से किसी भी परिस्थिति में Drug Price Control Order का उलंघन नहीं होना चाहिए।
12. किसी भी परिस्थिति में निविदा अथवा क्रय आदेश का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा।
13. जैसे निविदादाता जिनका वर्ष 2015-16 में दरों का अनुमोदन होने के पश्चात् औषधियों/सर्जिकल समानों/रसायनों की आपूर्ति समय सीमा के अन्दर नहीं करने पर संबंधित निविदादाता के अग्रघन की राशि वापस नहीं की जायेगी अथवा संबंधित आपूर्तिकर्ता के दवा के विपत्र से अन्तर की राशि का समायोजन करने के लिए संस्थान स्वतंत्र है। आपूर्ति आदेश निर्गत होने के पश्चात् अधिकतम 30 दिनों के अन्तर्गत आपूर्ति रिम्स भण्डार में करना अनिवार्य होगा।
14. इस निविदा से संबंधित सभी प्रकार के निपटारे का न्यायिक क्षेत्र राँची होगा।
15. निविदादाता द्वारा प्रेषित निविदा में उपरोक्त किसी भी निविदा शर्त के अपूर्ण रहने की स्थिति में अथवा आवश्यक प्रमाण पत्र निविदा में संलग्न नहीं रहने पर उक्त निविदादाता की निविदा स्वतः रद्द मानी जायगी।
16. निविदा समर्पण एवं निष्पादन हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि को सरकारी अवकाश घोषित होने पर अवकाश के ठीक अगले दिन उसी समय एवं स्थल पर निविदा संबंधी कार्य निष्पादन होंगे एवं इसके लिए अलग से किसी प्रकार की सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी।
17. अद्योहस्ताक्षरी को किसी एक निविदा या सभी निविदाओं को आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः, बिना कारण बताए, अस्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।


निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

